

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा
1 / 197 / 17

तारीख रजू
17.10.2017

तारीख निर्णय
18.06.2019

उनवान

1. बत्तो पत्नी स्व0 बच्चूसिंह
2. संजय पुत्र बच्चूसिंह
3. राजेन्द्र पुत्र बच्चूसिंह
4. सुमन पुत्री बच्चूसिंह जातियान जाट निवासी ग्राम रामगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. सिंगारी पत्नी स्व0 राजाराम
2. भूपसिंह पुत्र स्व0 राजाराम
3. कैलाश पुत्र स्व0 राजाराम
4. सुभाष पुत्र स्व0 राजाराम
5. भगवानसिंह पुत्र स्व0 राजाराम
6. जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल जातियान जाट निवासी ग्राम रामगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

7. लैण्ड होल्डर जयें तहसीलदार, रामगढ।

.....तकमीली प्रतिवादी


(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण -

1. आसमोहम्मद एडवोकेट - वादीगण
2. तैयब हुसैन एडवोकेट - प्रतिवादीगण

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1199 रकबा 2.36, 1200 रकबा 3.80 किता 2 रकबा 6.16 हैक्ट0 तथा आराजी खसरा नम्बर 1126 / 1222 रकबा 0.23, 1131 रकबा 0.01, 1132 रकबा 0.47, 1133 रकबा 0.03, 1135 रकबा 1.66, 1138 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम रामगढ तहसील रामगढ के विभाजन एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी बत्तो पत्नी स्व0 बच्चूसिंह ने दावा न्यायालय हाजा में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आरटीएक्ट प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

(2)

निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दावा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.6.2018 द्वारा वाद वादी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार कर वादी को उक्त खसरा नम्बरान में विभाजन का अधिकारी घोषित कर वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ से ली गई। जिसका विवरण इस प्रकार हे कि आराजी खसरा नम्बर 1199 रकबा 2.36, 1200 रकबा 3.80 किता 2 रकबा 6.16 हैक्ट0 तथा आराजी खसरा नम्बर 1126/ 1222 रकबा 0.23, 1131 रकबा 0.01, 1132 रकबा 0.47, 1133 रकबा 0.03, 1135 रकबा 1.66, 1138 रकबा 0.06 हैक्ट0 किता 6 रकबा 2.46, कुल किता 8 रकबा 8.62 हैक्ट0 में से ख0 नं0 1126/1222 रकबा 0.23 हैक्ट0 पर समस्त आराजी पर श्रीमान के न्यायालय के स्टे के अलावा श्रीमान के न्यायालय का अलग से स्थगन आदेश अंकित है, इस कारण खसरा नम्बर 1226/1222 रकबा 0.23 हैक्ट0 को छोडकर अन्य खसरा नम्बरान में वादी एवं प्रतिवादियों के बीच काफी प्रयासों के बाद आपसी सहमति कराकर विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से तैयार किया गया :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख0 नं0 मय रकबा	रंग
1	जयकिशन पुत्र सुन्दर लाल जाति जाट सा0 खेडी खातेदार राहिन पीएनबी रामगढ मु.वि.कृ.	1199 मिन रकबा 0.94, 1200 मिन रकबा 1.53 हैक्ट0 कुल 2.47 हैक्ट0	केसरिया
2	सिंगारी देवी पत्नी राजाराम, भूपसिंह, कैलाश, सुभाष पिता राजाराम राहिन पीएनबी रामगढ हिस्सा 4/5 भगवानसिंह पुत्र राजाराम हिस्सा 4/5 राहिन एसबीबीजे रामगढमु.बि.कृ.जाट खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.38, 1200 मिन रकबा 0.18, 1135 मिन रकबा 1.40, 1131 रकबा 0.01, 1132 रकबा 0.47, 1133 रकबा 0.03 हैक्ट0 कुल 2.47 हैक्ट0	पीला
3	बत्तो पत्नी स्व0 बच्चूसिंह, संजय, राजेन्द्र पिता बच्चूसिंह हिस्सा 3/4 राहिन एसबीबीजे रामगढ, सुमन पुत्री बच्चूसिंह ना.बा. सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/4 जाट सा0 खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.28, 1200 मिन रकबा 1.99, 1135 मिन रकबा 0.26 हैक्ट0 कुल 2.53 हैक्ट0	पिक

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

(3)

सिनारी देवी पत्नी स्व० राजाराम, भूपसिंह, बालक, सुभाष पिता राजाराम समभाग हिस्सा 4/15 राहिन पीएनबी रामगढ मु.बि.कृ. मनवानसिंह पुत्र राजाराम 1/15 हिस्सा राहिन एसबीबीजे रामगढ, जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/3 राहिन पीएनबी रामगढ मु.बि.कृ., बल्लो पत्नी स्व० बच्चूसिंह, संजय राजेन्द्र पिता बच्चूसिंह हिस्सा 1/4 राहिन एसबीबीजे रामगढ सुमन पुत्री बच्चूसिंह ना. बा. सरपरस्त नाता खुद 1/2 हिस्सा जाति जाट सा० खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.76, 1200 मिन रकबा 0.10, 1138 रकबा 0. 06 हैक्ट० कुल 0.92 हैक्ट०	बिना रंग
--	--	----------

उपरोक्तानुसार कुर्रेजात तैयार कर वादी प्रतिवादी की सहमति के हस्ताक्षर नहीं किये। उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार होने के बाद हस्ताक्षर करने से मना किया गया।

वादी व प्रतिवादी द्वारा सहमति पत्र / राजीनामा इस आशय का पेश किया कि न्यायालय में चल रहे मुकदमें में पटवारी / तहसीलदार साहब रामगढ द्वारा जो कुर्रेजात पेश किये हैं। हम दोनों पक्षकारान सहमत व संतुष्ट है। हम दोनों पक्षकारान को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। राजीनामा संलग्न पत्रावली है। राजीनामा स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात वाद डिक्री किया जावें।

वकील वादी को सुना गया। वादी वकील द्वारा कुर्रेजात अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया, अन्य किसी व्यक्ति या पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आक्षेप पेश नहीं किया। उक्त मुताबिक कुर्रेजात अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात अनुसार इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि -

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख० नं० मय रकबा	रंग
1	जयकिशन पुत्र सुन्दर लाल जाति जाट सा० खेडी खातेदार राहिन पीएनबी रामगढ मु.बि.कृ.	1199 मिन रकबा 0.94, 1200 मिन रकबा 1.53 हैक्ट० कुल 2. 47 हैक्ट०	केसरिया

उप खण्ड अधिकारी
 रामगढ (अलवर)

(4)

	सिंगारी देवी पत्नी राजाराम, भूपसिंह, कैलाश, सुभाष पिता राजाराम राहिन पीएनबी रामगढ हिस्सा 4/5 भगवानसिंह पुत्र राजाराम हिस्सा 4/5 राहिन एसबीबीजे रामगढमु.बि.कृ.जाट खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.38, 1200 मिन रकबा 0.18, 1135 मिन रकबा 1.40, 1131 रकबा 0.01, 1132 रकबा 0.47, 1133 रकबा 0.03 हैक्ट0 कुल 2.47 हैक्ट0	पीला
3	बत्तो पत्नी स्व0 बच्चूसिंह, संजय, राजेन्द्र पिता बच्चूसिंह हिस्सा 3/4 राहिन एसबीबीजे रामगढ, सुमन पुत्री बच्चूसिंह ना.बा. सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/4 जाट सा0 खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.28, 1200 मिन रकबा 1.99, 1135 मिन रकबा 0.26 हैक्ट0 कुल 2.53 हैक्ट0	पिंक
4	सिंगारी देवी पत्नी स्व0 राजाराम, भूपसिंह, कैलाश, सुभाष पिता राजाराम समभाग हिस्सा 4/15 राहिन पीएनबी रामगढ मु.बि.कृ. भगवानसिंह पुत्र राजाराम 1/15 हिस्सा राहिन एसबीबीजे रामगढ, जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/3 राहिन पीएनबी रामगढ मु.बि.कृ., बत्तो पत्नी स्व0 बच्चूसिंह, संजय राजेन्द्र पिता बच्चूसिंह हिस्सा 1/4 राहिन एसबीबीजे रामगढ सुमन पुत्री बच्चूसिंह ना. बा. सरपरस्त माता खुद 1/2 हिस्सा जाति जाट सा0 खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.76, 1200 मिन रकबा 0.10, 1138 रकबा 0.06 हैक्ट0 कुल 0.92 हैक्ट0	बिना रंग

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.06.19
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ (अलवर)
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

जुज अधिकारी :- श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा

1/197/17

तारीख रजू

17.10.2017

तारीख निर्णय

18.06.2019

उनवान

1. बत्तो पत्नी स्व0 बच्चूसिंह
2. संजय पुत्र बच्चूसिंह
3. राजेन्द्र पुत्र बच्चूसिंह
4. सुमन पुत्री बच्चूसिंह जातियान जाट निवासी ग्राम रामगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. सिंगारी पत्नी स्व0 राजाराम
2. भूपसिंह पुत्र स्व0 राजाराम
3. कैलाश पुत्र स्व0 राजाराम
4. सुभाष पुत्र स्व0 राजाराम
5. भगवानसिंह पुत्र स्व0 राजाराम
6. जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल जातियान जाट निवासी ग्राम रामगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

7. लैण्ड होल्डर जयें तहसीलदार, रामगढ।

.....तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण -


1. आसमोहम्मद एडवोकेट - वादीगण
2. तैयब हुसैन एडवोकेट - प्रतिवादीगण

पर्चा डिक्री

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रैजात अनुसार इस प्रकार डिक्री किया जाता है

कि -


क्र. सं.	नाम खातेदार	ख0 नं0 मय रकबा	रंग
1	जयकिशन पुत्र सुन्दर लाल जाति जाट सा0 खेडी खातेदार राहिन पीएनबी रामगढ मु.वि.कृ.	1199 मिन रकबा 0.94, 1200 मिन रकबा 1.53 हैक्ट0 कुल 2.47 हैक्ट0	केसरिया
2	सिंगारी देवी पत्नी राजाराम, भूपसिंह, कैलाश, सुभाष पिता राजाराम राहिन पीएनबी रामगढ हिस्सा 4/5 भगवानसिंह पुत्र राजाराम हिस्सा 4/5 राहिन एसबीबीजे रामगढमु.वि.कृ.जाट खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.38, 1200 मिन रकबा 0.18, 1135 मिन रकबा 1.40, 1131 रकबा 0.01, 1132 रकबा 0.47, 1133 रकबा 0.03 हैक्ट0 कुल 2.47 हैक्ट0	पीला
3	बत्तो पत्नी स्व0 बच्चूसिंह, संजय, राजेन्द्र पिता बच्चूसिंह हिस्सा 3/4 राहिन एसबीबीजे रामगढ, सुमन पुत्री बच्चूसिंह ना.बा. सरपरस्त माता खुद हिस्सा 1/4 जाट सा0 खेडी खातेदार	1199 मिन रकबा 0.28, 1200 मिन रकबा 1.99, 1135 मिन रकबा 0.26 हैक्ट0 कुल 2.53 हैक्ट0	पिंक


उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

(2)		
<p>सिमादे देवी पत्नी स्व० राजाराम, भूपसिंह, कैलाश, सुभाष पिता राजाराम समभाग हिस्सा 4/15 राहिन पीएनबी रामगढ मु.बि.कृ. मगवानसिंह पुत्र राजाराम 1/15 हिस्सा राहिन एसबीबीजे रामगढ, जयकिशन पुत्र सुन्दरलाल हिस्सा 1/3 राहिन पीएनबी रामगढ मु.बि.कृ., बन्तो पत्नी स्व० बच्चूसिंह, संजय राजेन्द्र पिता बच्चूसिंह हिस्सा 1/4 राहिन एसबीबीजे रामगढ सुमन पुत्री बच्चूसिंह ना. बा. सरपरस्त माता खुद 1/2 हिस्सा जाति जाट सा० खेडी खातेदार</p>	<p>1199 मिन रकबा 0.76, 1200 मिन रकबा 0.10, 1138 रकबा 0. 06 हैक्ट० कुल 0.92 हैक्ट०</p>	<p>बिना रंग</p>

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को
आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.06.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।


 18.06.19
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ (अलवर)